संचिका सं० :–प्र०–11 / विविध–03–12 / 2022

बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग

7270 (S)
08/10/25

संकल्प

विषय :– **पथ निर्माण विभाग के स्वामित्व वाले सड़कों एवं भूखण्डों पर विद्युत आपूर्ति, जलापूर्ति, टेलीफोन लाइन या केबुल / ऑप्टिकल फाइबर केबुल, सिवर लाइन, गैस पाईप लाइन बिछाने के लिए अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत करने के संबंध में।**

पथ निर्माण विभाग के सड़कों के किनारे, उपर या भूमिगत रूप से विद्युत आपूर्त्ति, जलापूर्त्ति, टेलीफोन लाइन या केबुल / ऑप्टिकल फाइबर केबुल, सीवर लाइन इत्यादि बिछाने तथा इस हेतु काटे गये पथांश के पुर्नस्थापन के लिए सरकारी दर, एकरारनामा प्रारूप, भूमि उपयोग शुल्क एवं नीति निर्धारण हेतु विभागीय संकल्प (ज्ञापांक सं०–4564(S)we, दिनांक–11.07.2005 एवं 4501(S), दिनांक–28.03.2008) प्रभावी है, जिसे दिनांक–01.01.2025 के प्रभाव से निरसित किया जाता है।

2. सम्यक् विचारोपरान्त निम्न मार्गदर्शन / नीति निर्धारित किये जाते है :–

2.1 टेलीफोन लाईन या केबुल / ऑप्टिकल फाइबर केबुल के अधिष्पाठन के लिए अनुमति हेतु नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार एवं भारत सरकार द्वारा अधिसूचित नवीन दूरसंचार (मार्ग के अधिकार) नियम–2024 को पथ निर्माण विभाग में दिनांक–01.01.2025 से प्रभावी किया जाता है।

2.2 विद्युत आपूर्ति, जलापूर्ति, सीवर लाइन बिछाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने में उक्त अधिसूचना (दूरसंचार (मार्ग के अधिकार) नियम–2024) के सदृश्य दरों एवं शर्त्तों का अनुपालन किया जाएगा।

2.3 Pipe Natural Gas (PNG) Network एवं संयंत्र की स्थापना हेतु खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग बिहार सरकार की अधिसूचना सं०–1505, दिनांक–15.07.2025 द्वारा निर्गत शहरी गैस वितरण नीति–2025 को पथ निर्माण विभाग द्वारा अंगीकृत किया जाता है।

3 उपरोक्त के संबंध में दिनांक–30.09.2026 को आयोजित मंत्रिपरिषद् की बैठक में मद संख्या–12 के रूप में स्वीकृति प्रदान की गयी है।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इसे बिहार गजट के विशेष अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सरकार के सभी विभागाध्यक्ष, सभी प्रमंडलीय आयुक्त, सभी जिला पदाधिकारी एवं महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।

(पंकज कुमार पाल)
सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः–प्र०–11/विविध–03–12/2022 7270 (S) पटना, दिनांक– 08/10/26
प्रतिलिपिः– प्रभारी पदाधिकारी, ई० गजट कोषांग, वित्त विभाग, पटना–07 को दो हार्डकॉपी के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(पंकज कुमार पाल)
सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः–प्र०–11/विविध–03–12/2022 7270 (S) पटना, दिनांक– 08/10/26
प्रतिलिपिः– महालेखाकार (ले० एवं ह०), वीरचन्द पटेल पथ, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

(पंकज कुमार पाल)
सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः–प्र०–11/विविध–03–12/2022 7270(S) पटना, दिनांक– 08/10/26

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

(पंकज कुमार पाल)
सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः–प्र०–11/विविध–03–12/2022 7270(S) पटना, दिनांक– 08/10/26

प्रतिलिपिः– विशेष सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(पंकज कुमार पाल)
सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः–प्र०–11/विविध–03–12/2022 7270(S) पटना, दिनांक– 08/10/26

प्रतिलिपिः–सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार/सभी जिलाधिकारी, बिहार /माननीय विभागीय मंत्री, बिहार, पटना के आप्त सचिव/अभियंता प्रमुख (मुख्यालय/कार्य प्रबंधन), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/सभी मुख्य अभियंता, पथ निर्माण विभाग/प्रबंध निदेशक बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, पटना/सभी अधीक्षण अभियंता, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/सभी कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग/मुख्यालय स्थित सभी राजपत्रित पदाधिकारी, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

(पंकज कुमार पाल)
सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।